कार्यालय जिला पंचायत फर्रुखाबाद।

पत्रांकः / जि०पं०फ० / निर्माण / 2017–18 दिनांक 16.6.17

संशोधित अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पचांयत, फर्रुखाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत, फर्रुखाबाद द्वारा निर्मित सडकों को गड्डामुक्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं0 207/जि0पं0/निर्माण/2017–18 दिनांक 26.05.2017 के द्वारा दिनांक 05.06.2017 को 67 कार्यों की ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की गयी थी, जो अपरिहार्य कारणों से नही करायी जा सकी हैं। उक्त सभी 67 कार्यों की निविदा सूचना ऑनलाइन दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 22.06.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे तक ई–टेण्डरिंग पोर्टल https://e-tender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन http://up.nic.in पर ही Upload/Download/Submit किया जा सकेगा। आमन्त्रित निविदायें दिनांक 22.06.2017 को ही अपरान्ह 01:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। प्रत्येक निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंको की एफ0डी0आर0/डॉकघर की एन0एस0सी0 के साथ–साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, फर्रुखाबाद के नाम बन्धक हो अपर मुख्य अधिकारी, फर्रुखाबाद को देय होगा। जिसकी स्कैन प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा मूल प्रतियां निविदा आमन्त्रित करने की तिथि व समय तक कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद में जमा करनी होगी। प्रत्येक निविदा के साथ रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ऑन लाइन स्कैन करते हुये निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बिना धरोहर धनराशि निविदा मूल्य तथा अद्यतन चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। किसी/सभी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय में निहित है। निविदा सम्बन्धी कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अभियन्ता, जिला पचायत, फर्रुखाबाद से की जा सकती है।

(उज्जवल अम्बेश)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।

पृष्ठांकन सं0: 295 /निर्माण/जि0पं0/2017–18 तद् दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर, विज्ञापन की दो प्रतियॉं बिल सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–फर्रुखाबाद।(नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी जि0पं0, फर्रुखाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0 फर्रुखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
5. कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी nic.in फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अपनी बेवसाइड में संलग्न सी0डी0. प्रकाशित करने का कष्ट करें। (सी0डी0 सहित)
7. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, फर्रुखाबाद में चस्पा हेतु।
8. वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, लेखाकार व कैशियर जि0पं0 फर्रुखाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला पंचायत के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

16.6.17

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, फर्रुखाबाद